

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकरण अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

विन्ध्य टेलीलिंक्स लि० द्वारा जनपद फतेहपुर में खागा-विजैपुर -नरैनी-संतो-औराई-रामपुर मार्ग किमी० 0.00 से 27.50 तक एवं खागा-नौबस्ता -हुसैनगंज -फतेहपुर मार्ग किमी० 0.00 से 59.00 तक कुल लंबाई 86.50 किमी० 0.8961 हे० संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में(प्रस्ताव सं०-एफपी/यूपी/ओएफसी/34588/2018)

राज्य सरकार की सिफारिशें-पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-2298/81-2-2020-800(48)/2020, दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 के द्वारा प्रस्ताव पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी की संस्तुति के आधार पर संस्तुत ।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।)

23.12.2020

हस्ताक्षर

()

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर

(आशीष तिवारी)

विशेष सचिव

पर्यावरण, वन एवं

जलवायु परिवर्तन विभाग

उत्तर प्रदेश सरकार।